ई-मेल

म.प्र.राज्य क़षि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/सम्पदा/46/86/विविध/FPC/ 1428 भोपाल, दिनांक 28 /12/2022

प्रति,

1- संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय- (समस्त)

2- कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग- (समस्त)

विषयः- फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियां (एफ.पी.सी.) को सहकारी संस्थाओं की भांति योजनाओं का लाभ दिये जाने के संबंध।

संदर्भः- उप सचिव मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक/डी-15/15/2018/14-3 दिनांक 28 फरवरी 2018 एवं मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक/मण्डी/प्रांगण/विविध/46/36/फार्मर प्रोडयू.क./2718-2719 दिनांक 14.03.2018

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश एवं परिपत्र द्वारा जारी किये गये निर्देशों के तारतम्य में पुनः लेख है कि मंडी बोर्ड द्वारा पूर्व में भी फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियां (एफ.पी.सी.) को सहकारी संस्थाओं की भांति योजनाओं का लाभ दिये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के तारतम्य में पुनः संदर्भित आदेश एवं परिपत्र की छायाप्रतियां संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(कार्यवाही प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/सम्पदा/46/86/विविध/FPC/ 1429 भोपाल, दिनांक 28/12/2022

प्रतिलिपीः-

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ..... जिला..... (समस्त)

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय

कमांक/डी–15/15/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018

//आदेश//

म.प्र. कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम–3 आवंटन के सामान्य सिद्धांत (1) मण्डी समिति की कोई भी भूमि या संरचना, इन नियमो मे यथा उपबंधित रीति के सिवाय आवंटित नहीं की जाएगी.

नियम–3 (2) किसी भूमि या संरचना का आवंटन केवल कृषि उपजों के विपणन में सहायक या कृषकों की सुविधा के लिये वांछनीय प्रयोजन के लिये अथवा उनके अनुषंगी किसी प्रयोजन, जैसे कि दुकान, दुकान–सह–गोदाम, भाण्डागार, शीतागार, शेड, वे ब्रिज, प्लेटफार्म, चबूतरा शौचालय पेट्रोल/डीजल पम्प, विश्रामगृह, केन्टीन, मृदा–परीक्षण प्रयोगशाला तथा क्लीनिक के लिये किया जाएगा. कोई प्रयोजन इस प्रवर्ग में आता है या नही, इस बिन्दु पर प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा.

नियम–3 (3) भूमि एवं संरचना का आवंटन, सामान्यतया 30 वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति पर किया जायेगा, और पट्टे पर नही किया जाएगा.

नियम–3 (4) किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक भू–खण्ड या संरचना का आवंटन नही किया जाएगा.

नियम–3 (5) किसी दुकान–सह गोदाम या किसी गोदाम के लिये भूमि या संरचना का आवंटन केवल ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जो, अधिनियम के अधीन यथास्थिति, व्यापारी/प्रस्करणकर्ता अथवा भांडागारपाल के रूप में अनुज्ञप्ति धारण करता है.

नियम–3 (6) भूमि या संरचना के आवंटन के लिये नीलाम या मोहर बंद लिफाफे में/प्रस्थापना (आफर) का आमंत्रण पद्वति का अनुसरण किया जाएगा.

"परन्तु" राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्वशासकीय संस्था, यथा निगम/मण्डल/मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड/संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत या मूल्य पर किया जायेगा. तथापि, राज्य सरकार रियायत कीमत/मूल्य पर आवंटन के लिए अनुज्ञात करने के लिए सशक्त होगी।

म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश कमांक/बी–1–1/2017/14–2 भोपाल, दिनांक 13.9.2017 द्वारा आदेश जारी किया गया है कि –

भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशक (आई एवं पी) के पत्र क्रमांक एल–12011/1/2012–आई एवं पी दिनांक 23 मार्च 2012 में फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनियों (एफपीसी) को सहकारी संस्थाओं की भांति योजनाओं का लाभ दिये जाने के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा यह व्यवस्था आदेशित करता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग–9 अ के तहत कम्पनी संशोधन अधिनियम 2002 एवं 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रदेश में गठित तथा कियाशील "फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियों" जो पूर्णतः सहकारिता के सिद्वांतों पर ही कार्य करती है को विभाग की समस्त योजनाओं की गाईड लाइन में निहित प्रावधानों के तहत योजनाओं का लाभ लेने हेतु पात्र होगी जारी किये गये है।

उक्त आदेश के अनुकम में म.प्र. कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रदेश में गठित तथा कियाशील फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियां जो प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञप्ति धारण करती है उन्हें मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के कय–विकय के भण्डारण हेतु गोदाम आवंटन का किराया राशि रू.15/– प्रतिटन (प्रतिमाह) निर्धारित करते हुये प्रतिवर्ष किराये की दर में 10 प्रतिशत वृद्वि की जावे।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(बी.एम.धुर्वे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक/डी–15/15/2018/14–3 भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2018

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन, भोपाल।
4. संचालक, मध्य भारत कंसोर्टियम आफ फारमर्स प्रोडयूसर कम्पनी लिमिटेड ई–5/74 अरेरा कालोनी भोपाल।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Mo/429 दि. 28/2/18
शाखा ADD (YI)
प्रबंध संचालक

ADD(S)-226
05/3/18

DD(S) 78
5/3/18

म0प्र0राज्य कृषि वि
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/46/36/फार्मर प्रोडयू.क./2718 भोपाल,दि. 14/3/2018

प्रति,

1.संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
2. सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति
.....जिला..... (म0प्र0)

विषय :— फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियों (एफपीसी) को सहकारी संस्थाओं की भांति योजनाओं का लाभ दिये जाने के संबध मे।

—000—

भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पत्र कमांक/एल—12011/1/2012—आई एवं पी दिनांक 23 मार्च 2012 में फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियों को सहकारी संस्थाओं की भांति योजनाओं का लाभ दिये जाने के परिपालन में म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल द्वारा आदेश कमांक/डी—15/15/2018/14—3 भोपाल दिनांक 28.2.2018 से कम्पनी अधिनियम 1956 के भाग—9 अ के तहत कम्पनी संशोधन अधिनियम 2002 एवं 2013 के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रदेश में गठित तथा कियाशील "फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियों" जो पूर्णतः सहकारिता के सिद्धांतो पर ही कार्य करती है को विभाग की समस्त योजनाओं की गाईड लाइन में निहित प्रावधानों के तहत योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु पात्र होगी जारी किये गये है।

उक्त आदेश के अनुकम में म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं सरंचना का आवंटन) नियम 2009 के विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत एवं प्रदेश में गठित तथा कियाशील फार्मर प्रोडयूसर कम्पनियॉ जो प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में अनुज्ञप्ति धारण करती है, उन्हें मण्डी/उपमण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के कय—विकय के भण्डारण हेतु गोदाम आवंटन का किराया राशि रू.15/—प्रतिटन (प्रतिमाह) निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष किराये की दर में 10 प्रतिशत की वृद्वि की जावेगी के आदेश उप सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल द्वारा आदेश कमांक/डी—15/15 /2018/14—3 भोपाल दिनांक 28. 2.2018 जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। तदनुसार कार्यवाही करें।

सलग्नः— उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक—सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/मंडी/प्रांगण/विविध/46/36/फार्मर प्रोडयू.क./2719 भोपाल,दि. 14/3/2018

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य भारत कन्सोटियम आफ फार्मर प्रोडयूसर कम्पनी लिमिटेड, ई—5/74 अरेरा कालोनी भोपाल।

प्रबंध संचालक—सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल